कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक .... दिनांक ....

आम– सूचना

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी भू–स्वामी/नागरिको/बिल्डरो आदि को सूचित किया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में किसी निर्माण या स्थापना या किसी भवन निर्माण का प्रारम्भ या स्थायी महत्व की कोई संरचना या विधमान भवन का कोई रूपांतरण या बदलाव या अतिरिक्त निर्माण सहित, भवन निर्माण से संबंधित किसी कार्य निष्पादन, भवन विनियमों के अनुरूपता के अलावा नहीं किया जा सकता है, जबतक कि इसकी स्वीकृति नगर निगम के सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं हो जाती है।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 426 के नियम के विपरीत यदि कोई शहरवासियों के द्वारा बिना नक्सा स्वीकृत कराये निर्माण किया जाता है तो धारा 428 के भवन विनियमो के उल्लंधन में भवन का निर्माण करने वाले उत्तरदायी मानते हुए दण्ड स्वरूप कम से कम एक लाख रूपया, जो भवन या संरचना के आकार तथा विचलन की सीमा के अनुसार दस लाख रूपये तक बढाया जा सकेगा, के भुगतान का दायी होगा।

ह०/-
कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 2161 दिनांक 12/06/2018

प्रतिलिपि :– कार्यालय सूचना पट पर साटकर सूचनार्थ/ Website http//:udhd.gov.in के नोटिस पर अवलोकन किया जा सकता है।

12/06

कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम